9 जुलाई, 2010 को आई. एम. जी. सभागार तिरूवनंतपुरम में 1600 बजे इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेंट (आई. एम. जी.) द्वारा विकसित किए आर टी आई पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का उद्‌घाटन अभिभाषण

इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेन्ट द्वारा सूचना का अधिकार संबंधी विकसित किए गए नॉलेज पोर्टल के शुभारंभ समारोह में भाग लेने पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस संस्थान ने पिछले तीन दशकों से सरकार, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा नियोजित कार्मिकों में प्रबंधकीय कौशल एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों तथा आम लोगों के लिए आरटीआई संबंधी क्षमता निर्माण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में मान्यता भी प्रदान की है।

आज शुभारंभ किए गए आरटीआई नॉलेज पोर्टल से यह अपेक्षा है कि महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें राज्य में सूचना के अधिकार के संबंध में व्यापक सूचना उपलब्ध कराने के अलावा भी अतिरिक्त कार्य किया जा सकेगा। इसकी वास्तविक उपयोगिता एक ई-लर्निंग पोर्टल के रूप में कार्य करने में होगी, जो सूचना का अधिकार के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने तथा तदुपरांत, प्रशिक्षकों को प्रमाण-पत्र देने में समर्थ होगा। संस्थान ने सुदूर स्थानों में तैनात कार्मिकों को सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण देने तथा उभरते हुए मुद्दों एवं 'केस लॉ' के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वीडियो कॉनफ्रेंसिंग जैसे दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों का सदुपयोग करने का काम भी शुरू किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम उच्चतम न्यायालय के इस विचार को विधायी मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है कि संविधान के अधीन सूचना पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। साथ ही कार्यपालिका भी यह बात स्वीकार करती है कि वह लोगों के प्रति पांच वर्ष में केवल एक बार जवाबदेह नहीं होती है, बल्कि जब भी आरटीआई आवेदन दिया जाता है, जो एक दिन में सैकड़ों होते है, तब उसे अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। इसने शासन में लोगों की भागीदारी को एक नया अर्थ प्रदान कर दिया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम सभी हितार्थियों पर नई बाध्यताएं थोप देती है। इसके अंतर्गत सरकार से निर्णय लेने एवं नीति-निर्माण में और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने तथा अपना रिकॉर्ड और बेहतर बनाने का आह्वान किया जाता है। सभ्य समाज से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के मामले में एक अनौपचारिक समाशोधन गृह की तरह कार्य करे ताकि आम लोगों को इस माध्यम का प्रयोग समझ में आए और वे इस साधन का उपयोग कर सकें। यह नागरिकों की शासन में चुनाव से हटकर भागीदारी को संभव बनाता है।

आरटीआई नॉलेज पोर्टल उन लोगों के क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने या प्रदान करना चाहते हैं। यह भी बहुत खुशी की बात है कि मंत्रालय में सूचना और प्रशिक्षण देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(4) में उपबंध है कि "सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा।" आरटीआई का संदेश लोगों के पास उनकी भाषाओं में पहुंचाना उन्हें अर्थपूर्ण तरीके से सशक्त करने की दिशा में पहला कदम है।

इस पोर्टल का केरल राज्य में विशेष महत्व है, जहां शत-प्रतिशत साक्षरता है और जहां अनेक नागरिक डिजिटल मीडिया में काम करने में सहज हैं। मुझे विश्वास है कि यह नॉलेज पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने में काफी मददगार साबित होगा।

मैं मुख्यमंत्री श्री वी. एस. अच्युतानंदन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया।

****